अजीत सिंह, ऽ/o सुभाष सिंह, पता - बनावे, बजारगोसाई, अर्जुनपट्टी, बजार गोसाई, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश, 276127

विषय: बिना नोटिस दिए जॉब छोडने के सम्बंध में लीगल नोटिस

अजीत सिंह S/o सुभाष सिंह, DigiCoders Technologies Private Limited लखनऊ में Android Developer के पद पर काम करते थे, 21-04-2022 को अजीत सिंह ने बिना एक महीने पहले नोटिस दिए ही इस्तीफ़ा दे दिया, जबिक जॉब जोईनिंग के समय अग्रीमेंट साइन हुआ था कि जब भी इस्तीफ़ा देंगे तो एक माह पूर्व में नोटिस देंगे की एक माह बाद से वो ऑफ़िस नहीं आएँगे।

हमने ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने के लिए कई बार कोशिश की है, हमने कई बार आपसे फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया है, हमने कई बार WhatsApp संदेश के माध्यम से आपसे संपर्क करने का प्रयास किया है, हमारे अवलोकन के अनुसार, हमने आपके साथ सहयोग करने का प्रयास किया है लेकिन आपका व्यवहार ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, पिछले कई ईमेल और मेसजेज़ के जवाब ना आने के बाद अब हमें क़ानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ रहा है,

चूँिक अपने हमारे किसी भी सम्पर्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और ना ही अपना कार्य अपने मैनेजर को हैंडओवर किया और ना ही कार्य की ज़रूरी जानकारी और डेटा कम्पनी को सबिमट किया।

तो अब हम इन बिंद्ओं पर क़ानूनी कार्यवाही करने वाले है, जो निम्नवत है -

- 1. आपने 30 दिनों की अपनी नोटिस अविध को पूरा नहीं किया जैसा कि आपने जॉब जोईनिंग होने के समय स्वीकार किया था ।
- 2. आपने अपने चल रहे 2-3 और पिछले 3-4 प्रोजेक्ट वर्क को पूरा नहीं किया ।
- 3. समय सीमा पर प्रोजेक्ट वर्क को पूरा नहीं करने के लिए कंपनी को भविष्य में वितीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। करीब 3-4 लाख का नुकसान होगा । तो इस मामले में कंपनी मुआवजे के रूप में आपसे इस नुकसान की वसूली करेगी जिसकी भरपायी आपको करनी होगी ।

- 4. आपको कई बार ईमेल और WhatsApp से सम्पर्क करके कहने पर जो सोर्स कोड और डेटा अपने भेजा है वो अध्रा है और उसमें से कई प्रोजेक्ट का डेटा ग़लत है, ऐसा करना कम्पनी की इन्फ़र्मेशन को नुक़सान पहुँचाना है, और इससे जो नुक़सान होगा उसकी भी भरपायी आपको करनी होगी।
- 5. आप अपनी नोटिस की अविध को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको नोटिस की अविध पूरी नहीं करने के लिए मुआवजे के रूप में 2 महीने का वेतन वापस करना होगा ।
- 6. आप इस तरह अचानक से बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ रहे है जिसका मतलब हो सकता है कि आप हमारे किसी प्रतिद्वंदी कम्पनी को हमारी कंपनी की ट्रेड जानकारी/डेटा/प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दे सकते है, इसके लिए जॉब से इस्तीफ़ा देते समय ऑफ़िस छोड़ने से पहले नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कम्पनी और एम्प्लॉई के बीच लेकिन आपने जॉब छोड़ने से पहले नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे ये साबित होता है की आप कम्पनी का डेटा कभी भी लीक कर सकते हैं, इससे भविष्य में कम्पनी का काफ़ी नुक़सान हो सकता है, यह एक क़ानूनन अपराध है।
- 7. आपने लगभग 22-25 प्रोजेक्ट वर्क पर काम किया और कंपनी को सभी सोर्स कोड अपने लैप्टॉप से नहीं मिटाए हैं, जिनकी प्रतियाँ आपके पास है, और आप उसका कभी भी दुरुपयोग कर सकते है, आप वो सारे डेटा कम्पनी को जमा करके अपने पास से उसकी प्रतियाँ मिटा दें, ऐसा नहीं करना एक गंभीर विषय/अपराध है।
- 8. आप कंपनी की गोपनीय जानकारी और डेटा लीक कर सकते हैं, इसलिए आपको कम्पनी से जाने से पहले Confidential Information ना लीक करने या किसी को जानकारी ना देने का अग्रीमेंट करना होता है जो आपने नहीं किया ।
- 9. आपने कार्यालय छोड़ने से पहले किसी सहकर्मी या प्रबंधक को अपना चलता हुआ कार्य नहीं सौंपा, जिससे उन कार्य को पूरा करने में कम्पनी को समस्या आएगी और जिससे कम्पनी का वितीय नुक़सान भी हो सकता है, जिसके ज़िम्मेदार आप होंगे।
- 10. आपके द्वारा नौकरी में शामिल होने के समय आपने रोजगार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अनुबंध की कामकाजी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था, आपने उस अनुबंध को तोड़ दिया है, जिसके तहत अब आपको क़ानूनी प्रक्रिया से अपने आपको साबित करना पड़ेगा की क्या अपने बिना नोटिस दिए और अपना काम पूरा किए बिना जॉब छोड़ने का निर्णय सही लिया।
- 11. आपको कंपनी छोड़ने से पहले अपना काम पूरा नहीं करने के लिए मानसिक रूप से जो कंपनी प्रबंधन को परेशानी हुए है उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं और उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी होगी।

उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर, अजीत सिंह को कम्पनी को कम से कम 3.5 लाख के हर्जाने भरने की ज़रूरत पड़ेगी है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपको उपरोक्त सभी बिंदुओं के लिए मुआवजे की भरपाई करनी होगी, अन्यथा, आपको 01-05-2022 से 31-05-2022 तक अपनी नोटिस अविध पूरी करनी होगी और अपना बचा हुआ कार्य कम्प्लीट करना होगा और अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने मैनेजर को सौंप कर आप जा सकते है, यदि आप अपनी नोटिस अविध को पूरा करने के लिए सहमत नहीं हैं तो हम आपके खिलाफ कंपनी के चल रहे काम को नुकसान पहुंचाने और कई कारणों के लिए एक अदालती मामला दर्ज करवाया जाएगा जल्द ही।

एक कंपनी के रूप में हमारे पास इस स्थिति में कोई अन्य विकल्प नहीं है, फिर भी हम आपसे सहयोग की उम्मीद है, और आपके हित में हम चाहते है कि आप अपना बचा हुआ कार्य पूरा करें और 1 माह का नोटिस पिरीयड पूरा करें ।